

फर्द अहकाम
(नियम 15)

आयालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
काशादेवी बनाम मनीराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act

प्रकरण संख्या 05 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09.09.2025	<p>वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 29.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">~.1</p>	
17.9.2025	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मिकाल केसी पेश करे पर प्रजावली को केसी में लिखा गया। कुलार फरिजेन उपरिक्खत प्रार्थी को ने फरिजे वकील कुलाराम उपरिक्खत आकर केसकाल दावा पेश किया जिहे शाणिल फरिजे किया गया। प्रजावली करते फेर-जाकर आईन्दा तारीख 29.9.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">~.1</p>	
29.9.2025	<p>कुलार फरिजेन उपरिक्खत/पु माह 07 केसकाल। प्रजावली प्रार्थी के पेश की बिनाक 17/10/2025</p>	
17.10.2025	<p>कुलार फरिजेन उपरिक्खत/स्टेट जकार माह उक्तो फेर सुमी गरी प्रजावली का अवलेकन किया गया। प्रजावली पर उपरिक्खत रिक्कत माह प्रार्थी की तरफकरी के आकर पर प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शाणिल फरिजे किया जावे। प्रजावली नम्बर के काम ही जाकर बाउ तरफकरी एकमीट जाकर दाखिल इफ्तल हो।</p> <p style="text-align: right;">~.1</p>	